बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02-05-13

संख्याः- 15/डी० एल० ए० - कैमूर (आवास निर्माण) - 01/13 - 1193/रा०

रा०-चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव **बबुरा** परगना- **चैनुपर** थाना नं०- **496** थाना- **भभुआ** जिला- **कैमूर** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात- **जिला पदाधिकारी, कैमूर के आवास** निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित हैं, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव- **बबुरा** थाना नं०- **496** के भीतर भूकि का एक टुकड़ा अपेक्षित, जो मानक माप के कम-वेश- **4.76 एकड़** होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है- **पूर्ण खेसरा नं० 101, 100, 99, 96, 92, 563, 98, 95, 94, 93, ~~92~~, 97, 91, 90, 89, 88, 104, 103, 102 तथा अंश खेसरा नं० 105**

तथा जिसकी चौहद्दी भिन्न प्रकार से है:---

उत्तरः- **सिवाना सिकठी नं० 498**
पूरबः- **भभुआ- मोहनियां सड़क**
दक्षिणः- **पूर्ण खेसरा नं० 107, 106, अंश खेसरा नं० 105**
पश्चिमः- **सिवाना सिकठी नं० 498**

यह अधिसूचना अधिनियम, 1,1894 की धारा -4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन्1961, संशोधित अधिनियम -1984) उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, **कैमूर (भभुआ)** में देखा जा सकेगा बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकरी, **कैमूर** और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में।

तत्समण लगे **अधियाची विभाग** के पदाधिकरियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) में तथा उपबंधित या विनिदिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राध्किृत करते है।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5ए के उपबन्ध लागू नहीं होते:-

ह०/-
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
अवर सचिव।

जिला भूमि अर्जन पदा० | **अपर समाहर्त्ता** | **समाहर्त्ता**

ज्ञापांक 1193/रा० / डी०एल०ए०, **दिनांक** 02-05-13 /

प्रतिलिपिः- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण को जिला भूमि अर्जन कार्यालय,. **कैमूर** एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2-प्रतिलिपिः- उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाख, **कैमूर (भभुआ)**को जिला बजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित बजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, , **कैमूर (भभुआ)** को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियों में भेजने के लिये।

3-प्रतिलिपिः- समाहर्त्ता, , **कैमूर (भभुआ)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/5/13
सरकार के अवर सचिव।